इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2025–कार्तिक 2, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम धवल तिवारी अंकित है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, कक्षा 9वीं, 8वीं की अंकसूची में नाम दक्ष तिवारी दर्ज है, जो कि सही है. मेरे पुत्र का सही नाम दक्ष तिवारी है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को दक्ष तिवारी के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विवेक तिवारी)
पुत्र– शिवनाथ तिवारी
निवासी– ए–20, न्य साकेत नगर,
तानसेन रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-6146)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मनोरमा पटेल (MANORAMA PATEL) पति लीलाधर पटेल है. मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मुन्नी बाई (MUNNI BAI) पति लीलाधर दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम मनोरमा पटेल (MANORAMA PATEL) पति लीलाधर पटेल लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मुन्नी बाई)
(MUNNI BAI)

नया नाम

(मनोरमा पटेल)
(MANORAMA PATEL)
पति– लीलाधर पटेल,
पता– 19, बरोदा अर्जुन, बरलाई जागीर,
इंदौर (म.प्र.).

(G-6147)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम श्रुति पटेल (SHRUTI PATEL) पिता लोकेश पटेल है, जो कि उसके जन्म प्रमाण– पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम SURTI पिता लोकेश पटेल दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में SURTI के स्थान पर उसका सही नाम श्रुति पटेल (SHRUTI PATEL) पिता लोकेश पटेल जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(SURTI)	**(श्रुति पटेल)** **(SHRUTI PATEL)** पिता– लोकेश पटेल, पता– 260, राम मंदिर मोहल्ला, बनग्रेड, बड़नगर, उज्जैन (म.प्र.).

(G-6148)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मुन्नी खत्री (MUNNI KHATRI) पति महेश खत्री है, जो कि मेरे वोटर कार्ड, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/ अशासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश नाम कुसुम (KUSUM) पति महेश दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम मुन्नी खत्री (MUNNI KHATRI) पति महेश खत्री लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कुसुम) **(KUSUM)**	**(मुन्नी खत्री)** **(MUNNI KHATRI)** पति– महेश खत्री, पता– 2, कच्चा मसानिया, लोहा मंडी इंदौर (म.प्र.).

(G-6149)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम डॉ. सुष्मिता मुखर्जी (DR. SUSHMITA MUKHARJI) पिता पुरुषोत्तम मुखर्जी था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर मेरा नाम डॉ. सुस्मिता मुखोपाध्याय (DR. SUSMITA MUKHOPADHYAY) पिता पुरूषोत्तम मुखोपाध्याय कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम डॉ सुस्मिता मुखोपाध्याय (DR. SUSMITA MUKHOPADHYAY) पिता पुरुषोत्तम मुखोपाध्याय लिखा–पढा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(डॉ. सुष्मिता मुखजी) **(DR. SUSHMITA MUKHARJI)**	**(डॉ. सुस्मिता मुखोपाध्याय)** **(DR. SUSMITA MUKHOPADHYAY)** पिता– पुरुषोत्तम मुखोपाध्याय, पता– 101, सांई संपदा अपार्टमेन्ट, छोटी खजरानी, इंदौर (म.प्र.).

(G-6150)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम जारा पटेल (ZARA PATEL) पिता शरीफ पटेल है, जो कि उसके जन्म प्रमाण– पत्र में अंकित है, किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम LAEEBA पिता शरीफ पटेल दर्ज हो गया है. अतः प्रकाश्न उपरान्त मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में LAEEBA के स्थान पर उसका सही नाम जारा पटेल (ZARA PATEL) पिता शरीफ पटेल लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(शरीफ पटेल)
पता– मालती मार्ग, डेहरी सराय,
डेहरीसरय, धार (म.प्र.).

(G-6151)

नाम परिवर्तन

मैं, सीमा गुप्ता मेरा विवाह पूर्व नाम सीमा अग्रवाल था. मेरा विवाह स्वतंत्र कुमार गुप्ता से होने के पश्चात मेरा नाम सीमा गुप्ता (Seema Gupta) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम सीमा गुप्ता (Seema Gupta) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम

(सीमा अग्रवाल)
(SEEMA AGRWAL)

नया नाम

(सीमा गुप्ता)
(SEEMA GUPTA)
पति– श्री स्वतंत्र कुमार गुप्ता,
निवासी– मकान नं. 19, न्यू मार्केट,
तहसील हुजूर, टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-6152)

नाम परिवर्तन

मैं, गुट्टी शाह मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अनीस कुरैशी (ANISH KURAISHI) गलत अंकित हो गया है. मेरे परिचय–पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में गुट्टी शाह (GUTTI SHAH) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम गुट्टी शाह (GUTTI SHAH) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अनीस कुरैशी)
(ANISH KURAISHI)

नया नाम

(गुट्टी शाह)
(GUTTI SHAH)
निवासी– मकान नं. 56, खाई बस्ती,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-6153)

नाम परिवर्तन

मैं, संजय केवलरमानी (SUNJAY KEWALRRAMANI) पुत्र कन्हैयालाल केवलरमानी मेरे पुत्र का घर का नाम शौर्या केवलरमानी (SHAURYA KEWALRAMANI) है, जबकि वर्तमान में वह हर्षवर्धन केवलरमानी (HARSHVARDHAN KEWALRAMANI) पुत्र संजय केवलरमानी (SUNJAY KEWALRRAMANI) के नाम से जाना–पहचाना जाता है

और भविष्य में मेरा पुत्र शौर्या केवलरमानी (SHAURYA KEWALRAMANI) के नाम से जाना–पहचाना जाएगा. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को शौर्या केवलरमानी (SHAURYA KEWALRAMANI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संजय केवलरमानी
(SUNJAY KEWALRRAMANI)
निवासी– फ्लैट क्रमांक 301, पुष्परतन लैंडमार्क,
384, साकेतनगर, इंदौर (म.प्र.).

(G-6154)

नाम परिवर्तन

मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश वेदांत ठाकुर (VEDANT THAKUR) अकिंत हो गया है, जबकि मेरा सही नाम वेदांत सिंह ठाकुर (VEDANT SINGH THAKUR) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम वेदांत सिंह ठाकुर (VEDANT SINGH THAKUR) लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(वेदांत ठाकुर)

नया नाम
(वेदांत सिंह ठाकुर)
निवासी– ग्राम 101/1, नार्थ मुसाखेड़ी,
इंदौर (म.प्र.).

(G-6155)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम लविश देवकोटा (LAVISH DEVKOTA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम लोकराज देवकोटा (LOKRAJ DEVKOTA) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम लोकराज देवकोटा (LOKRAJ DEVKOTA) लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(टीकाराम देवकोटा)
पता– एएचडी–13, पंडित दीनदयाल उपाध्यय नगर,
सुखलिया, इंदौर (म.प्र.).

(G-6156)

नाम परिवर्तन

मैं, रुचिर वाष्णेय आ. श्री रमेश चंद्र गुप्ता, निवासी ई–26, संत आसाराम नगर, बागमुगलिया, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का वास्तविक नाम आन्वी वाष्णेय (AANVI VARSSHNAY) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम रिद्धिशा वार्ष्णेय (RIDDHISHA VARSHNEY) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को वास्तविक नाम आन्वी वाष्णेय (AANVI VARSSHNAY) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रुचिर वाष्णेय).

(G-6157)

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश रघुवंशी आत्मज श्री रवि शंकर, निवासी– 144, हाउसिंग बोर्ड, बैरसिया रोड करोंद, जैन कॉलोनी, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का वास्तविक नाम खुशी रघुवंशी (KHUSHI RAGHUVANSHI) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम राधिका रघुवंशी (RADHIKA RAGHUVANSHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का वास्तविक नाम खुशी रघुवंशी (KHUSHI RAGHUVANSHI) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-6158) (राकेश रघुवंशी).

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार मेवाडा पुत्र गोपाल सिंह, निवासी– मकान नं. 338, वार्ड नं. 8, ईश्वर नगर, सतलापुर, नादोर, मंडीदीप, रायसेन, (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश रोहिणी मांझी (ROHINI MANJHI) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम राशि मांझी (RASHI MANJHI) जो कि मेरी पुत्री कि अंकसूची में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में सही नाम राशि मांझी (RASHI MANJHI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-6159) (मनोज कुमार मेवाडा)
पुत्र– गोपाल सिंह.

नाम परिवर्तन

मैं, नरीन बी, निवासी– देवास, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश गुलबशाह पठान नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम नरीन बी है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में सही नाम नरीन बी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गुलबशाह पठान)	(नरीन बी).

(G-6160)

नाम परिवर्तन

मैं, सुताबाई पत्नी स्व. भगवानसिंह, निवासी– ग्राम रैपुरा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश सुना बाई मीना नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में सुताबाई नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में सही नाम सुताबाई के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुना बाई मीना)	(सुताबाई).

(G-6161)

CHANGE OF NAME

I, AARTI SAINI (आरती सैनी) Here by declare that I have changed my name as TARANJEET KAUR SAINI W/o. RANJEET SINGH SAINI (तरनजीत कौर सैनी पति रंजीत सिंह सैनी).

So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name	New Name
(AARTI SAINI)	**(TARANJEET KAUR SAINI)**
(आरती सैनी)	(तरनजीत कौर सैनी)
	W/o. RANJEET SINGH SAINI
	पति– रंजीत सिंह सैनी)
	ADD.- FLAT NO. - 403, SHANTI HEIGHTS 36 B, SHRI KRISHNA AVENUE PHASE 1 LIMBODI, BILAWALI, PO. - KASTURBAGRAM, DISTT. INDORE, (M.P).

(G-6162)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अनिकेत सिंह था, जो कि अब बदलकर हर्षवर्धन सिंह पिता महेंद्र सिंह हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनिकेत सिंह)	**(हर्षवर्धन सिंह)**
	पिता– महेंद्र सिंह,
	पता – 22, कैलाशपुरी एम आर 10 रोड, इंदौर (म.प्र.).

(G-6163)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कृष्णा शास्त्री (KRISHNAA SHASTRI) था, जो कि अब बदलकर कृष्णा शास्त्री पिता अनिल शास्त्री (KRISHNA SHASTRI S/o. ANIL SHASTRI) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कृष्णा शास्त्री)	(कृष्णा शास्त्री)
(KRISHNAA SHASTRI)	**(KRISHNA SHASTRI)**
	पिता– अनिल शास्त्री
	S/o. ANIL SHASTRI,
	पता – 210, ग्राम माचल, माचल, इंदौर (म.प्र.).

(G-6164)

CHANGE OF NAME

I, SUDARSHAN S/o. BADRIPRASAD Here by declare that I have changed my name as RAJENDRA SINGH JHALA S/o. JASVANT SINGH JHALA. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name	New Name
(SUDARSHAN)	**(RAJENDRA SINGH JHALA)**
S/o. BADRIPRASAD	S/o. JASVANT SINGH JHALA,
	ADD. - 148, GOVIND NAGAR KHARCHA, SAANWER ROAD, INDORE (M.P.).

(G-6165)

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम सपना शिवनानी (SAPANA SHIVNANI) पिता श्री सर्वानन्द शिवनानी था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है एवं मेरे आधार कार्ड में सु सपना (SU SAPANA) दर्ज है. श्री धर्मेश चंदानी से विवाह के उपरान्त मेरा नाम प्राची चंदानी (PRACHI CHANDANI) पति श्री धर्मेश चंदानी हो गया है, जो मेरे वोटर कार्ड में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों में प्राची चंदानी (PRACHI CHANDANI) पति श्री धर्मेश चंदानी लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सु सपना)
(SU SAPANA)
(सपना शिवनानी)
(SAPANA SHIVNANI)

नया नाम

(प्राची चंदानी)
(PRACHI CHANDANI)
पति– श्री धर्मेश चंदानी,
पता– 109, रेवन्यु नगर, सुदामा नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-6166)

नाम परिवर्तन

मैं, जिगना प्रमोद तेजूकाया, निवासी– 153, शिवालिक ए 2, गर्ल्स होस्टल, इंजीनियर टी वाला के पास, स्कीम नं. 78, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.). जिसे अब तक सिर्फ जैना जुबैर फारूकी कहा जाता था. अब मैंने अपना नाम जिगना प्रमोद तेजूकाया परिवर्तित कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे पूर्ण नाम जिगना प्रमोद तेजूकाया के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(जिगना प्रमोद तेजूकाया).

(G-6167)

नाम परिवर्तन

मैं, लोकेन्द्र सिंह (LOKENDRA SINGH) पिता केदार सिंह (KEDAR SINGH), निवासी– सिरदारसिंह, रिठोरा कलां, मुरैना, रिथोराकलन (म.प्र.). मेरा नाम हाईस्कूल की अंक सूची के अनुसार लोकेन्द्र सिंह मावई (LOKENDRA SINGH MAVAI) है एवं आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में लोकेन्द्र सिंह (LOKENDRA SINGH) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम लोकेन्द्र मावई (LOKENDRA MAVAI) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी

(लोकेन्द्र सिंह)
(LOKENDRA SINGH).

(G-6168)

नाम परिवर्तन

मैं, आकांक्षा यादव (AKANKSHA YADAV) मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में पिता का नाम (RAMSHRYA YADAV) एवं माता का नाम (INDRAPATI YADAV) त्रुटिपूर्ण दर्ज है. जबकि पिता का सही नाम RAMASHRAY YADAV एवं माता का सही नाम INDRAWATI YADAV है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में यही नाम दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

Old Name

(AKANKSHA YADAV)
D/o. RAMSHRYA YADAV
INDRAPATI YADAV

New Name

(AKANKSHA YADAV)
D/o. RAMASHRAY YADAV
INDRAWATI YADAV.

(G-6169)

नाम परिवर्तन

मेरे सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हरिहर प्रसाद पिता आदित्य प्रताप अंकित है. मेरे सभी शासकीय दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम हरिहर प्रताप सिंह पिता आदित्य प्रताप सिंह दर्ज है उक्त नाम एक ही व्यक्ति हरिहर प्रताप सिंह के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे हरिहर प्रताप सिंह के नाम से ही जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम

(हरिहर प्रसाद)
पिता– आदित्य प्रताप

नया नाम

(हरिहर प्रताप सिंह)
पिता– आदित्य प्रताप सिंह,
निवासी– ग्राम शाहपुर पो.आ. रामपुर थाना/तहसील नईगढी,
जिला मऊगंज (म.प्र.).

(G-6170)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म BAPU RICE MILLING, पता– SERVEY No. 580, GRAM THADODA, TEHSIL- AGAR, DIST.-AGAR (M. P.) रजिस्ट्रेशन क्रमांक 07–47–01–0132–22, दिनांक 15 दिसम्बर 2022 है.

जिसमें दिनांक 15 सितम्बर 2025 को फर्म का नाम BAPU RICE MILLING, का नाम परिवर्तन कर फर्म का नवीन नाम BAPU ENTERPRISES किया गया है तथा जिसमें दिनांक 15 सितम्बर 2025 को फर्म का पता– SERVEY No 580, GRAM THADODA, TEHSIL– AGAR, DIST.–AGAR (M. P.) के स्थान पर नवीन पता– सर्वे नंबर 580/1, 579/2/1, ग्राम थडोदा, तहसील आगर मालवा, जिला आगर मालवा (म. प्र.) हो गया है. वर्तमान में फर्म BAPU RICE MILLING, पता– SERVEY No. 580, GRAM THADODA, TEHSIL- AGAR, DIST- AGAR (M. P.) को नवीन नाम व पते– BAPU ENTERPRISES, पता– सर्वे नंबर 580/1, 579/2/1, ग्राम थडोदा, तहसील आगर मालवा, जिला आगर मालवा (म. प्र.) से ही कार्य करेगी.

वर्तमान में इस फर्म BAPU ENTERPRISES में निम्न भागीदार रहेंगे.

BAPU ENTERPRISES

1. मनोहर सिंह आंजना
2. पवन सिंह आंजना
3. नरेंद्र सिंह आंजना

(भागीदार).

(G-6171)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स वीनस कम्युनिकेशन (M/S. VENUS COMMUNICATION) कार्यालय बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 4th फ्लोर मॉल रोड मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)–474006 पूर्व कार्यालय किचलू साहब का बाड़ा, आर्य नगर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) 474006 जो दिनांक 14 जुलाई 2004 से एक साझेदारी फर्म के रूप में कार्य कर रही है जिसका पंजीयन क्र. आरजी– फर्म–31 वर्ष 2004–05, दिनांक 21, जुलाई 2004 है जिसका संशोधित विलेख दिनांक 17 जून 2023 को सम्पादित हुआ जो इस प्रकार है कि प्रथम श्री संतोष राणा पुत्र श्री जंडेल सिंह राणा निधन दिनांक 26 मार्च 2023 से फर्म में नहीं रहे हैं, जिनके स्थान पर श्री निखिल सिंह राणा पुत्र स्वर्गीय श्री संतोष राणा फर्म में

सम्मिलित हुए हैं, द्वितीय फर्म के कार्यालय के पते में परिवर्तन नवीन कार्यालय– बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 4th फ्लोर मॉल रोड मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)–474006 है. यहाँ जानकारी आमजन को सूचित हो.

फॉरः मेसर्स वीनस कम्युनिकेशन
(M/S. VENUS COMMUNICATION)
श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल
(भागीदार).

(G-6172)

उपनाम परिवर्तन

मैं, हरजीत सिंह पन्नू पिता गुरूवचन सिंह, निवासी– के/1 झाँसी मार्ग, सदर बाजार सागर, जिला सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री जपजीत कौर पन्नू पिता हरजीत सिंह पन्नू की 10वीं की अंकसूची में पिता का नाम हरजीत सिंह पन्नू के स्थान पर हरजीत सिंह जाट दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जिसका संशोधन कर हरजीत सिंह जाट के स्थान पर हरजीत सिंह पन्नू दर्ज होना है. मेरा नाम हिन्दी और अंग्रेजी में हरजीत सिंह जाट (HARJEET SINGH JAT) जो गलत है. जिसके स्थान पर सुधार कर हरजीत सिंह पन्नू (HARJEET SINGH PANNU) नाम मुझे मेरी पुत्री जपजीत कौर पन्नू की कक्षा 10वीं की अंकसूची में सुधार कर दर्ज कराना है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम हरजीत सिंह पन्नू (HARJEET SINGH PANNU) के नाम से जाना– पहचाना, लिखा–पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हरजीत सिंह जाट)	(हरजीत सिंह पन्नू)
(HARJEET SINGH JAT)	**(HARJEET SINGH PANNU)**
	पिता– गुरूवचन सिंह.

(G-6173)

नाम परिवर्तन

मैं, सावित्री राजपूत पत्नी जयसिंह राजपूत, निवासी– 866 राजा बिलहरा सागर, जिला सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सावित्री राजपूत के स्थान पर तुलसाबाई राजपूत पति जय सिंह राजपूत दर्ज हो गया था जो कि गलत है, उसे मैं, पुनः सुधार कर सावित्री राजपूत कराना चाहती हूँ जो कि मेरे समग्र आई. डी., बैंक पासबुक में भी दर्ज है. मैं, अपने आधार कार्ड में तुलसाबाई राजपूत (TULSABAI RAJPOOT) जो कि गलत है के स्थान पर सुधार कराकर सावित्री राजपूत (SAVITRI RAJPUT) कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम सावित्री राजपूत (SAVITRI RAJPUT) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(तुलसाबाई राजपूत)	(सावित्री राजपूत)
(TULSABAI RAJPOOT)	**(SAVITRI RAJPUT)**
	पति– जयसिंह राजपूत.

(G-6174)

नाम परिवर्तन

मैं, किसन पाटिल (Kisan Patil) पुत्र स्व. मारोती राव पाटिल अपना नाम परिवर्तन कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे किशन पाटिल (Kishan Patil) के नाम से जाना–पहचाना, पुकारा जाए एवं मुझसे सबंधित सभी शासकीय/गैर शासकीय रिकार्ड में मेरा यही नाम अंकित किया जावे.

प्रार्थी
(किशन पाटिल)
(KISHAN PATIL)
पता– 85, मन्दाकिनी हाऊसिंग सोसायटी,
कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-6175)

नाम परिवर्तन

मैं, सागर देव दुबे पिता मदन देव, निवासी– म.नं. 237, सिविल लाइन पाटन, पोस्ट पाटन, तहसील पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.). जो कि मेरा सही नाम है. मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सागर देव दर्ज है, जो कि अपूर्ण नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अपने आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों में अपना नाम सागर देव दुबे (SAGAR DEV DUBEY) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सागर देव)	(सागर देव दुबे) **(SAGAR DEV DUBEY)** पिता– मदन देव.

(G-6176)

नाम परिवर्तन

मैं, भाविका कटारिया पत्नी श्री मुकेश कटारिया, निवासी– 10/4, ओल्ड सुभाष नगर, शिव मंदिर के पांस, भोपाल (म.प्र.). मेरे विवाह पूर्व का नाम ज्योति खूबचंदानी था. श्री मुकेश कटारिया से विवाह के पश्चात् मेरा नाम कुछ दस्तावेजों में ज्योति कटारिया के रूप में दर्ज हो गया था, किंतु अब मैंने अपना नाम विधिपूर्वक भाविका कटारिया के रूप में परिवर्तित कर लिया है. अतः मैं यह स्पष्ट करती हूँ कि ज्योति खूबचंदानी, ज्योति कटारिया और भाविका कटारिया ये तीनों नाम मेरी ही पहचान को दर्शाते हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भाविका कटारिया के नाम से ही जाना–पहचाना और मेरे सभी दस्तावेजों में इसी नाम को मान्यता दी जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ज्योति खबचंदानी/ज्योति कटारिया)	(भाविका कटारिया)

(G-6177)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्श श्रीवास्तव आत्मज श्री आलोक वर्मा, निवासी– 198, एचआईजी, पेपटेक सिटी देरी रोड, छतरपुर (म.प्र.). मेरा नाम अर्श श्रीवास्तव (Arsh Shrivastava) है, परंतु एलआईसी की कोमल जीवन प्लान में त्रुटिवश मेरा नाम प्रियांश श्रीवास्तव (Priyansh Shrivastava) अंकित हो गया है, यह दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मैं, अपने नये एवं वास्तविक नाम अर्श श्रीवास्तव (Arsh Shrivastava) से जाना–पहचाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रियांश श्रीवास्तव) **(PRIYANSH SHRIVASTAVA)**	(अर्श श्रीवास्तव) **(ARSH SHRIVASTAVA).**

(G-6178)

नाम परिवर्तन

मैं, ललित कुमार मारन आत्मज श्री मायाराम मारन, निवासी– 19, कोलार रोड, नजदीक कोलार थाना, नयापुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम "लालाराम" अंकित है और कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम "ललित कुमार मारन" अंकित है. दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे "ललित कुमार मारन" (Lalit Kumar Maran) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं सभी प्रकार के शासकीय/अशासकीय अभिलेखों तथा कार्यों में मेरा यही नाम मान्य होगा.

प्रार्थी

(ललित कुमार मारन)

(G-6179)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय भूरिया पिता श्री सक्का भूरिया, निवासी– ग्राम घौसलिया, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश "विराट" दर्ज हो गया है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम "शिवराज भूरिया (Shivraj Bhuriya) है, जो कि सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों एवं स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम "शिवराज भूरिया (Shivraj Bhuriya)" के नाम से लिखा–पढ़ा एवं जाना जाएगा.

आवेदक

(विजय भूरिया)

पिता– श्री सक्का भूरिया.

(G-6180)

नाम परिवर्तन

मैं, शेख इशाक आत्मज श्री शेख मासूम, निवासी– म.नं., वार्ड नं., मुख्य मार्ग, इटावा कलां, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम रूबी खान (Rubi Khan) है, परन्तु त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम रूवी शेख (Roovi Shekh) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को नये नाम रूबी खान (Rubi Khan) के नाम से जानी–पहचानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम रहेगा.

आवेदक

(शेख इशाक)

आत्मज– श्री शेख मासूम.

(G-6181)

नाम परिवर्तन

मैं, केदार सिंह पुत्र श्री गंगाराम, निवासी– ग्राम सुराना, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा सही नाम करन सिंह यादव (KARAN SINGH YADAV) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम केदार सिंह (KEDAR SINGH) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अपने नये नाम करन सिंह यादव (KARAN SINGH YADAV) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्जावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम

(केदार सिंह)

(KEDAR SINGH)

नया नाम

(करन सिंह यादव)

(KARAN SINGH YADAV).

(G-6182)

नाम परिवर्तन

मैं, मो. एजाज पुत्र श्री मो. अब्बास, निवासी– 202, ओरायन–2, पार्क सरीन, गिरधर परिसर, सनखेड़ी, भोपाल (म.प्र.). मेरा विवाह श्रीमती कीर्ति जड़िया, निवासी– भोपाल के साथ विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) के अंतर्गत विधिवत् पंजीकृत हुआ है. विवाह उपरांत मैं, अपना नाम "मो. एजाज" से बदलकर "अजय जड़िया (Ajay Jadiya)" रखना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे नए नाम अजय जड़िया (Ajay Jadiya) के नाम से ही जाना और पहचाना एवं सभी अभिलेख, दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मो. एजाज)

नया नाम

(अजय जड़िया)

(G-6183)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रशांत खंडेलवाल पिता श्री प्रमोद खंडेलवाल, निवासी– वार्ड नं. 04, बाम्बे रोड, म.नं.–65, सिवनी मालवा, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम प्रेमक्षा (PREMKSHA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम प्रमेक्षा खंडेलवाल पिता प्रशांत खंडेलवाल PRAMEKSHA KHANDELWAL D/o. PRASHANT KHANDELWAL है. मेरी पुत्री की कक्षा दसवीं की मार्कशीट एवं जन्म प्रमाण–पत्र में भी यही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को प्रमेक्षा खंडेलवाल पिता प्रशांत खंडेलवाल (PRAMEKSHA KHANDELWAL D/o. PRASHANT KHANDELWAL) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(प्रशांत खंडेलवाल)
पिता– श्री प्रमोद खंडेलवाल.

(G-6184)

नाम परिवर्तन

मैं, रेशमा केवट (RESHMA KEWAT) पत्नी श्री पवन केवट (PAWAN KEWAT), निवासी–5, हनुमान मंदिर के पास, पहाड़खेड़ी, पो. अकोला, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रश्मि डीमर (RASHMI DEEMAR) पत्नी पवन कुमार (PAWAN KUMAR) दर्ज है एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रेशमा केवट (RESHMA KEWAT) पत्नी श्री पवन केवट (PAWAN KEWAT) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त जहां कहीं भी मेरा नाम रश्मि डीमर (RASHMI DEEMAR) पत्नी पवन कुमार (PAWAN KUMAR) दर्ज है उसके स्थान पर रेशमा केवट (RESHMA KEWAT) पत्नी श्री पवन केवट (PAWAN KEWAT) लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रश्मि डीमर)
(RASHMI DEEMAR)
पत्नी– पवन कुमार
(PAWAN KUMAR)

नया नाम

(रेशमा केवट)
(RESHMA KEWAT)
पत्नी– श्री पवन केवट
(PAWAN KEWAT).

(G-6185)

नाम परिवर्तन

मैं, मदन सिंह पवार मोंगिया (Madan singh pawar mongia) पिता श्री मूलचंद पवार मोंगिया, निवासी– वार्ड क्रमांक 6 गायत्री नगर, गली नंबर 05, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरी सेवा–पुस्तिका में मेरा नाम मदन सिंह पवार (Madan singh pawar) अंकित है जबकि मेरा पूरा नाम मदन सिंह पवार मोंगिया (Madan singh pawar mongi) है. मैं, अपनी सेवा–पुस्तिका में मेरा नाम संशोधित कराकर मदन सिंह पवार के स्थान पर मदन सिंह पवार मोंगिया (Madan singh pawar mongia) अंकित कराना चाहता हूं तथा अन्य दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी सेवा–पुस्तिका में मदन सिंह पवार मोंगिया (Madan singh pawar mongia) अंकित किया जावे एवं जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(मदन सिंह पवार)

नया नाम

(मदन सिंह पवार मोंगिया)
पुत्र– श्री मूलचंद पवार मोंगिया,

(G-6186)

नाम परिवर्तन

मैं, अरशद खान तथा मेरी माता जी का नाम सभी शासकीय अभिलेखों में रजबुन निसा W/o. अब्दुल वाहिद खान दर्ज है, लेकिन त्रुटिवश मेरी सभी अंकसूचियों तथा जन्म प्रमाण–पत्र में सकीना बी दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी माता जी का सही नाम शासकीय अभिलेखों में रजबुन निसा (RAJBUN NISA) के नाम से लिखा–पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अरशद खान)
पता– 119 डी, सुन्दर नगर कॉलोनी,
अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.).

(G-6187)

नाम परिवर्तन

मैं, चतुर्भुज पुत्र बाला प्रसाद, निवासी– 01, झिरिया खेड़ा, कोलुआ खुर्द छावनी, आदमपुर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश वंश (VANSH) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम ओमप्रकाश (OMPRAKASH) है, जो कि मेरे पुत्र के शैक्षिणक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में सही नाम ओमप्रकाश (OMPRAKASH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(चतुर्भुज)
पुत्र– बाला प्रसाद.

(G-6188)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रदीप कुमार पिता श्री रामजी, निवासी– ग्राम पिपरिया, पोस्ट चादनखेड़ा, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम SMRATI दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण– पत्र में उसका नाम स्मिता पटेल है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री भविष्य में स्मिता पटेल SMITA PATEL के नाम से जानी एवं पहचानी जावेगी.

आवेदक

(प्रदीप कुमार)
पिता– श्री रामजी.

(G-6189)

नाम परिवर्तन

मैं, हीरा बाई प्रजापति पिता शिवदीन प्रजापति, निवासी– वार्ड नं. 13, ग्राम परसोरिया सागर, जिला सागर (म.प्र.). मेरी सेवा–पुस्तिका में मेरा नाम हीरा प्रजापति दर्ज है, जो कि मैरी शैक्षणिक दस्तावेजों 10वीं, 12वीं की अंकसूची से भिन्न है एवं मेरा नाम हीरा प्रजापति (HEERA PRAJAPATI) यह नाम मेरी सेवा–पुस्तिका में दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम हीरा बाई प्रजापति (HEERA BAI PRAJAPATI) जो कि मेरी सेवा–पुस्तिका में संशोधित होना है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम हीरा बाई प्रजापति (HEERA BAI PRAJAPATI) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(हीरा प्रजापति)
(HEERA PRAJAPATI)

नया नाम

(हीरा बाई प्रजापति)
(HEERA BAI PRAJAPATI)
पिता– शिवदीन प्रजापति.

(G-6190)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पैन कार्ड में शांति बाई व अन्य दस्तावेजों में शांति रावत है, जबकि मेरा सही नाम आधार कार्ड में श्रीमती शांति रावत पत्नी श्री सी.एम रावत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे श्रीमती शांति रावत के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शांति बाई / शांति रावत)

नया नाम
(शांति रावत)
निवासी– मकान नं.31, कुशवाह कॉलोनी,
मुगांवली, जिला अशोकनगर (म.प्र.).

(G-6191)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र नाजिम खांन (Najim Khan) S/o. अजमत खांन (Ajmat Khan) के आधार कार्ड में त्रटिवश उसका नाम साजीव (Sajeev) पुत्र हजमत खांन (Hajmat Khan) हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम नाजिम खांन (Najim Khan) S/o. अजमत खांन (Ajmat Khan) है, यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, उसकी कक्षा 8वीं की अंकसूची एवं समग्र परिवार कार्ड पर भी लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र नाजिम खांन (Najim Khan) S/o. अजमत खांन (Ajmat Khan) शासकीय / अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना, लिखा पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(अजमत खांन)
(Ajmat Khan)
निवासी– ग्राम चकरायपुरा, भदरौली, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-6192)

नाम परिवर्तन

मैं, सचिन (SACHIN) S/o. बाबू सिंह (BABU SINGH), मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश दीपक (DEEPAK) हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम सचिन (SACHIN) S/o. बाबू सिंह (BABU SINGH) 10वीं बोर्ड की अंकसूची में सही नाम सचिन (SACHIN) पुत्र S/o. बाबू सिंह (BABU SINGH) लिखा हुआ है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे दीपक (DEEPAK) के स्थान पर सचिन (SACHIN) पुत्र S/o. बाबू सिंह (BABU SINGH) के नाम से समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
दीपक
(DEEPAK)

नया नाम
(सचिन)
S/o. श्री बाबू सिंह
निवासी– ग्राम गुहीसर, तहसील मौ,
जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-6193)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अंग्रेजी में RAVI RAI S/o. KAILASH CHANDRA RAI है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अंग्रेजी में RAVI RAY S/o. KAILASH CHANDRA RAY हो गया है. अतः प्रकाशन के उपरान्त मेरा अंग्रेजी में नाम RAVI RAI S/o. KAILASH CHANDRA RAI समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रवि राय)
(RAVI RAY)

नया नाम
(RAVI RAI)
S/o. KAILASH CHANDRA RAI
निवासी– 14, कोटेश्वर कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-6194)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र श्रेयांश सिंह चौहान (SHREYANSH SINGH CHAUHAN) S/o. मनीष सिंह चौहान (Manish Singh Chanuhan) के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश प्रेयाश सिंह चौहान (Preyash Singh Chauhan), दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम श्रेयांश सिंह चौहान (SHREYANSH SINGH CHAUHAN) S/o. मनीष सिंह चौहान (Manish Singh Chanuhan) है यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम श्रेयांश सिंह चौहान (SHREYANSH SINGH CHAUHAN) S/o. मनीष सिंह चौहान (Manish Singh Chanuhan) के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनीष सिंह चौहान)
पता– वार्ड नं. 02, वाटरवक्स, भिण्ड (म.प्र.).

(G-6195)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम अनूप सिंह किरार (ANOOP SINGH KIRAR) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम विकाश (VIKASH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम अनूप सिंह किरार (ANOOP SINGH KIRAR) समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(विकाश)
(VIKASH)

नया नाम

(अनूप सिंह किरार)
(ANOOP SINGH KIRAR)
निवासी– ग्राम खुर्दपास, पोस्ट कछौआ,
तहसील चीनोर, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-6196)

CHANGE OF NAME

I, ANISHA PATEL W/o. AMZAD PATEL here by Declare That I, have changed My name as ANITA PATEL W/o. AMZAD PATEL so, from now and in future I will be known by my new name ANITA PATEL W/o. AMZAD PATEL

Old Name
(ANISHA PATEL)

New Name
(ANITA PATEL)
W/o. AMZAD PATEL
Add: GRAM MAGAR KHEDA, ALWASA,
INDORE (M.P).

(G-6197)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम माधवी जाटव पुत्री राजू जाटव (MADHAVI JATAV D/o. RAJU JATAV), निवासी– 175, आनंद नगर, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम माधुरी पुत्री राजू (MADHURI D/o. RAJU) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. माधवी जाटव पुत्री राजू जाटव व माधुरी पुत्री राजू दोनों मेरी पुत्री के नाम हैं. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम माधवी जाटव पुत्री राजू जाटव (MADHAVI JATAV D/o. RAJU JATAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजू जाटव)
पुत्र– श्यामलाल.

(G-6198)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम कृष्णा प्रजापति (Krishna Prajapati) पिता उमाकांत प्रजापति है. मेरे द्वारा मेरे पुत्र का नाम कृष्णा प्रजापति (Krishna Prajapati) पिता उमाकांत प्रजापति का नाम बदलकर आग्नेय प्रजापति (Aagney Prajapati) पिता उमाकांत प्रजापति किया जा रहा है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अब आग्नेय प्रजापति (Aagney Prajapati) पिता उमाकांत प्रजापति के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(उमाकांत प्रजापति)
पता–87, गोकुल नगर, महादेव मंदिर के पास,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-6199)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम सोम्या गेहलोद (Somya Gehlode) पिता स्व. अखिलेश गेहलोद है. मेरे द्वारा मेरी पुत्री सोम्या गेहलोद (Somya Gehlode) पिता स्व. अखिलेश गेहलोद का नाम बदलकर प्रांजल गेहलोद (Pranjal Gehlode) पिता स्व. अखिलेश गेहलोद किया जा रहा है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अब प्रांजल गेहलोद (Pranjal Gehlode) पिता स्व. अखिलेश गेहलोद के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदिका

(कल्पना गेहलोद)
पता–113/ए, द्वारकापुरी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-6200)

नाम परिवर्तन

मैं, अमन राजपूत पिता लक्ष्मण सिंह, निवासी– ग्राम बहादुरपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.). मेरा सही नाम अमन राजपूत (AMAN RAJPUT) पिता लक्ष्मण सिंह (LAXMAN SINGH) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश छोटू (Chhotu) पिता लक्ष्मन सिंह (Laxman Singh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा सही नाम अमन राजपूत (AMAN RAJPUT) पिता लक्ष्मण सिंह (LAXMAN SINGH) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे अमन राजपूत (AMAN RAJPUT) पिता लक्ष्मण सिंह (LAXMAN SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(छोटू)
(Chhotu)
पिता– लक्ष्मन सिंह
(LAXMAN SINGH)

नया नाम

(अमन राजपूत)
(AMAN RAJPUT)
पिता– लक्ष्मण सिंह
(LAXMAN SINGH)

(G-6201)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम विधान खटीक पुत्र संजीव खटीक (VIDHAN KHATIK S/o. SANJEEV KHATIK), निवासी– वार्ड नं. 8, खटिक मोहल्ला, ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम वीरेन्द्र पुत्र संजीव खटीक (VIRENDRA S/o SANJEEV KHATIK) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम विधान खटीक पुत्र संजीव खटीक (VIDHAN KHATIK S/o. SANJEEV KHATIK) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संजीव खटीक)

पुत्र– पन्ना लाल.

(G-6202)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम पुनित पंवार पुत्र अशोक पंवार (PUNIT PANWAR S/o. ASHOK PANWAR), निवासी– शीतला नगर कॉलोनी, जेल रोड, शुजालपुर, शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम पीयुष पंवार पुत्र अशोक पंवार (PEEUSH PANWAR S/o. ASHOK PANWAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम पुनित पंवार पुत्र अशोक पंवार (PUNIT PANWAR S/o. ASHOK PANWAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अशोक पंवार).

(G-6203)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सूरज ढोके पिता श्री श्यामलाल ढोके है, जबकि मेरे पुत्र देवेन्द्र ढोके के जन्म प्रमाण–पत्र एवं स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम सावन ढोके अंकित है. मैंने अब अपना नाम परिवर्तित कर सूरज ढोके के स्थान पर सावन ढोके रख लिया है तथा अब मैं, सावन ढोके के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सूरज ढोके के स्थान पर सावन ढोके ही लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(सावन ढोके)

(G-6204)

नाम परिवर्तन

मैं, मिजाज बाई पत्नी श्री स्व. कामराज ठाकुर, निवासी–ग्राम बरखेड़ा सलाम, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, (म.प्र.) मेरा विवाह से पहले नाम जलधरा था और विवाह के बाद मैंने अपना नाम मिजाज बाई रख लिया. यह दोनों नाम एक ही महिला के हैं. मेरे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड और बैंक पासबुक में मेरा नाम मिजाज बाई ही दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी पत्राचार और लेनदेन में मेरा नाम मिजाज बाई के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(मिजाज बाई).

(G-6205)

नाम परिवर्तन

मैं, हितांश मर्सकोले पिता ललित मर्सकोले, निवासी– मण्डई, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट. आधार कार्ड में मेरा नाम डिव्यांश मर्सकोले दर्ज है, जो कि गलत है. जबकि जन्म प्रमाण–पत्र में हितांश मर्सकोले है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे हितांश मर्सकोले के नाम से समस्त दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(डिव्यांश मर्सकोले)

नया नाम

(हितांश मर्सकोले)

पिता– ललित मर्सकोले.

(G-6206)

नाम परिवर्तन

मैं, मोना पाण्डेय पुत्री श्री दिनेश पाण्डेय, निवासी– 1/1, नजदीक हनुमान मंदिर दिनारा, वार्ड क्र.–18, दिनारा, जिला शिवपुरी (म.प्र.). मेरे समस्त शैक्षणिक व पहचान–पत्र दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम दिनेश पाण्डेय गलत लिख गया है. मेरा नाम मोना पाण्डेय पुत्री श्री दिनेश कुमार है, जो मेरे पिता जी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र आदि सभी दस्तावेजों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम मोना पाण्डेय पुत्री श्री दिनेश कुमार के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा–सुना समझा एवं समस्त शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मोना पाण्डेय)	(मोना पाण्डेय)
(MONA PANDEY)	**(MONA PANDEY)**
पुत्री– श्री दिनेश पाण्डेय	पुत्री– श्री दिनेश कुमार.
D/O. DINESH PANDEY	D/O. DINESH KUMAR

(G-6207)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद अली पिता लियाकत अली, निवासी– ई 6/173, जनता कॉलोनी, मासूम मस्जिद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेज में त्रुटिवश उसका नाम MOHD AHMED ALI, माता का नाम RUKSAR और पिता का नाम MOHD ALI दर्ज हो गया है, जो कि पिता व पुत्र का नाम अधूरा है और माता का नाम गलत है. जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम मोहम्मद एहमद अली (MOHAMMAD AHMED ALI) पिता मोहम्मद अली (MOHAMMAD ALI) माता अमरीन अली (AMREEN ALI) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम व माता–पिता का सही नाम दर्ज है, जिसे मैं अपने पुत्र के शैक्षणिक/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को मोहम्मद एहमद अली (MOHAMMAD AHMED ALI) पिता मोहम्मद अली (MOHAMMAD ALI) माता अमरीन अली (AMREEN ALI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(मोहम्मद अली)
पिता– लियाकत अली

(G-6208)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्री का नाम DISHIKA GHUSAR D/o. BHERULAL GHUSAR, निवासी– 160, प्रेस कॉलोनी, हथाईखेड़ा रोड, आनंद नगर, भोपाल (म.प्र.). परंतु मेरी पुत्री की नवीं की अंकसूची में त्रुटिवश नाम DISHIKA GHUSER D/o. BHERULAL GHUSAR अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम DISHIKA GHUSAR D/o. BHERULAL के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(BHERULAL GHUSAR)

(G-6209)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास अनुभाग, सिहोरा, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

सिहोरा, दिनांक 25 अगस्त 2025

क्र.–2395–प्रवा.1–अविअ–2025.– एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अनिल कुमार जैन पिता स्व. श्री नेमचंद जैन, निवासी– गोसलपुर, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर व अन्य के द्वारा श्री 458 जिनबिम्ब संस्थान न्यास जैन समाज, गोसलपुर, तहसील सिहोरा को लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 उपधारा 3 के अंतर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन कराए जाने बाबत् आवेदन–पत्र मय संलग्न दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया गया है.

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र इस न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु दिनांक 17 सितम्बर 2025 को नियत किया गया है. आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र पर जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह नियत सुनवाई को स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के जरिए उपस्थित होकर लिखित में दावा–आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के उपरांत प्राप्त दावा–आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

पुष्पेन्द्र अहके, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(G-6210)

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), चौरई, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 सितम्बर 2025

प्रारुप – चार

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) द्वारा]

मौजा गोहरगांव प.ह.नं. 23, तहसील चांद, जिला छिन्दवाड़ा

क्र.–891–अ.वि.अ.–री–1– 2025 रा.प्र.क्र. 01–बी–113–2025–26.– चूँकि, महादेव मंदिर सेवा समिति धार्मिक न्यास की ओर से अध्यक्ष श्री महेश सोनी पिता गिरधारी सोनी, निवासी– वार्ड नं. 15, गोहरगांव, तहसील चांद, जिला छिंदवाड़ा के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की धारा 30) की धारा 4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल–अचल संपत्ति हेतु आवेदन–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन–पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1.	चल संपत्ति	नगद राशि	50,100/–
2.	अचल सम्पत्ति	निरंक	निरंक

(G-6211)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 सितम्बर 2025

प्रारुप – चार

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) द्वारा]

मौजा गोहरगाव प.ह.नं. 23, तहसील चांद, जिला छिन्दवाड़ा

क्र.–891–अ.वि.अ.–री–1– 2025 रा.प्र.क्र. 01–बी–113–2025–26.–चूँकि महादेव मंदिर सेवा समिति धार्मिक न्यास की ओर से अध्यक्ष श्री महेश सोनी पिता गिरधारी सोनी, निवासी– वार्ड नं. 15, गोहरगांव, तहसील चांद, जिला छिन्दवाड़ा के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की धारा 30) की धारा 4 के अधीन एक आवेदन–पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 01 अक्टूबर 2025 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अतः, मैं, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ लोक न्यास अधिकारी, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 01 अक्टूबर 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः, एतद्द्वारा, सूचना दी जाती है, कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्याय या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि को समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री महादेव मंदिर सेवा समिति धार्मिक न्यास वार्ड नं. 15, गोहरगांव, तहसील चांद.

(G-6212) **प्रभात मिश्रा,** अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बासौदा, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

बासौदा, दिनांक 8 अक्टूबर 2025

प्रारुप – चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

प्र.क्र.–0003–बी–113–2025–26.– यतः कि श्री रमेशचंद जैन पुत्र श्री नन्नूमल जैन, निवासी–वार्ड नंबर–24, भारिल्ल ऑप्टिकल,.हनुमान चौक, गंजबासौदा, जिला विदिशा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 08 अक्टूबर 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

अतः, मैं, संतोष बिटोलिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बासौदा, जिला विदिशा का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 08 अक्टूबर 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगाः–

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम व पता	–	''श्री 1008 सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट विधापुरम (बूढापुरा) गंजबासौदा''.
2.	लोक न्यास की संपत्ति का विवरण	–	वार्ड नंबर–24, विधापुरम (बूढापुरा) स्थित 29000 वर्गफिट का फ्लॉट एवं वार्ड नंबर–24 स्थित 3358 वर्गफिट का संत निवास.

(G-6213) **संतोष बिटोलिया,** अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, मझगवां, जिला सतना, मध्यप्रदेश

मझगवां, दिनांक 25 सितम्बर 2025

प्रारुप– 5

[देखें नियम (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक मझगवां जिला के समक्ष

क्र.–660–2025.– अतः, मुझे यह प्रतीत है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम का 30 की धारा 2 की उपधारा 4 के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती हैः–

अब, इसलिये मैं, महिपाल सिंह गुर्जर, लोक न्यासों का पंजीयक मझगवां जिला मेरे न्यायालय में 2024 के 15 दिवस के दिवस पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथाअपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा, सूचना–पत्र दिया गया है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे माध्यम से उपस्थित तारीख पर या तो व्यक्ति अथवा प्लीटर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

''श्री भगवत भक्त सेवक समाज मुक्ति दाता धाम आश्रम, निवासी–सिद्ध बाबा की बगिया, कठौता, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र).''

सम्पत्तियों का विवरण

इस न्यास में निम्न सम्पत्तियां सम्मलित हैंः–

1.	चल संपत्ति	:–	0.408 हेक्टेयर
2.	अचल संपत्ति	:–	10,000 रुपये.

(G-6214)

मझगवां, दिनांक 25 सितम्बर 2025

प्रारुप– 5

[देखें नियम (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक मझगवां जिला के समक्ष

क्र.–659–2025.– अतः, मुझे यह प्रतीत है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है:–

अब, इसलिये मैं, महिपाल सिंह गुर्जर, लोक न्यासों का पंजीयक मझगवां जिला मेरे न्यायालय में 2025 के 15 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथाअपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया गया है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे माध्यम से उपस्थित तारीख पर या तो व्यक्ति अथवा प्लीटर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा:–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

"श्री रामजानकी मंदिर ओमरे सेन समाज चित्रकूट, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र)."

सम्पत्तियों का विवरण

इस न्यास में निम्न सम्पत्तियां सम्मलित हैं:–

1.	चल संपत्ति	:–	10,000 रुपये.
2.	अचल संपत्ति	:–	0.320 हेक्टेयर

महिपाल सिंह गुर्जर, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-6215)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बडवाह, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 18 सितम्बर 2025

[फार्म–4]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30–1951) की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, बडवाह

प्र.क्र.–03–बी–113(1)–2025–26.– चूंकि, प्रार्थी श्री श्रीराम पिता राजाराम जाति गुजर एवं अन्य निवासी–ग्राम डाल्याखेड़ी, तहसील सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा "श्याम गौशाला एवं सामाजिक विकास समिति न्यास" ग्राम डाल्याखेड़ी, तहसील सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30–1951) की धारा 4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा, सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन–पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहे. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नगद	निरंक	निरंक	11,000/.00
2.	अचल सम्पत्ति	निरंक	निरंक	निरंक

सत्यनारायण दर्रो, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-6216)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खिरकिया, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

खिरकिया, दिनांक 1 अक्टूबर 2025

क्र. 3044–रीडर–अविअ–2025 RCMS-0001–ब–113(4)–2025–26.– ग्राम के हर आम एवं खास जनता को इस इश्तहार के जरिए सूचित किया जाता है कि आवेदकगण संतोष पिता मांगीलाल मीणा, जाति देशवाली, निवासी– छीपाबड़ एवं अन्य 4 द्वारा इस न्यायालय में लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के तहत् आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम छीपाबड़ स्थित भूमि खसरा नंबर 220 रकबा 4.7680 हे. पर जो कि श्री नरसिंह मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है, ट्रस्टी के रूप में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं.

अतः, इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत कर सकते हैं. बाद–म्याद गुजरने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार आज दिनांक 01 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

(G-6217) **शिवांगी बघेल,** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 3 अक्टूबर 2025

प्र.क्र.–0001–बी–113(1)–2025–26.– आवेदक विश्वनाथ श्रीवास्तव, निवासी– फ्लेट नंबर 102, लेमन अपार्टमेंट, गोकुल नगर कनाडिया, इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1951 के नियम 4 के अंतर्गत ''कामधेनु माउली सेवा ट्रस्ट'' ग्राम राम पलासी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का लोक न्यास पंजीयन कराने हेतु आवेदन– पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि उक्त ''कामधेनु माउली सेवा ट्रस्ट'' ग्राम राम पलासी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन लोक न्यास में किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा आक्षेप हो तो वह अपनी आपत्ति मेरे न्यायालय में दिनांक 10 नवम्बर 2025 तक न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. बाद म्याद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

तन्मय वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-6218)

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मन्दसौर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 9 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) द्वारा]

पंजीयक, लोक न्यास मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष

श्री परशुराम धाम लोक न्यास ट्रस्ट

क्र.–1315–रीडर–2025– प्र.क्र.–05–बी–113–2025–26.– चूंकि, श्री परशुराम धाम ट्रस्ट धारियाखेड़ी, तहसील मंदसौर द्वारा अध्यक्ष गोपालकृष्ण ओंकारलाल पंचारिया, निवासी– 226 बडी होली, किला रोड, मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा 4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पति में हित रखता हो ओर उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता है.

अतः, शिवलाल शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं. अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपतियों को विचार के लिये ग्रहण नही किया जाएगा.

संपत्ति का विवरण

(अ)	अचल संपत्ति	:–	बैंक ऑफ इण्डिया के खाता क्रमांक 912910110015418 में राशि रुपये 25,000/–
(ब)	चल संपत्ति	:–	भूमि सर्वे क्रमांक 1043/मिन–3 रकबा 0.500 हे.

शिवलाल शाक्य, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-6219)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 6 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1),(2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–614.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–1229–रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2013 के द्वारा आदिवासी पशुपालन सहकारी संस्था मर्या., उमरई बेहरा, विकासखण्ड, गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक–794, दिनांक 1 अगस्त 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री विनय मरकाम, सहकारी निरीक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री अशोक कुमार शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञाप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित आदिवासी पशुपालन सहकारी संस्था मर्या., उमरई बेहरा, विकासखण्ड, गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 794, दिनांक 1 अगस्त 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-6220) **छविकांत वाघमारे,** उप पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2025–कार्तिक 2, शक 1947

भाग ३ (२)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.